भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2023

क्रमांक 730/मप्रविनिआ/2023. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 39(2)(घ), 40(ग) तथा 42(2) एवं (3) सहपठित धारा 181(1) के अधीन प्रदत्त इस निमित्त सामर्थ्यकारी समस्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहँच के लिये निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2021 **{आरजी–24(i), वर्ष, 2021}**, जिन्हें एतद् पश्चात् "मूल विनियम" निर्दिष्ट किया गया है, में संशोधन करने हेतु निम्न विनियम बनाता है, अर्थात् :–

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहुँच के लिये निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2021 में द्वितीय संशोधन {एआरजी–24(I)(ii), वर्ष 2023}

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ

1.1 ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहुँच के लिये निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण प्रथम) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2021 {एआरजी–24(I)(ii), वर्ष 2023} "** कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य के "राजपत्र" में इनकी प्रकाशन तिथि से लागू होंगे।

1.3 ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे।

2. मूल विनियमों के विनियम 2 में संशोधन :

मूल विनियमों के खण्ड 2.1 के उप–खण्ड (नौ)(क) को निरस्त किया जाए और खण्ड 2.1 के उप–खण्ड (नौ) के पश्चात् नवीन उप–खण्ड (नौ)(क), (नौ)(ख), (नौ)(ग) तथा (नौ)(घ), स्थापित किये जाएं, अर्थात् : –

"(नौ)(क)– 'दिवस पूर्व विपणन केन्द्र (Day Ahead Market (DAM)' का वही अर्थ होगा जैसा कि इसे समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (हरित ऊर्जा खुली पहँच उपभोक्ताओं के संबंध में खुली पहुँच प्रभारों एवं बैंकिंग प्रभारों के अवधारण की क्रियाविधि) विनियम, 2023 (जी–46, वर्ष 2023) में परिभाषित किया गया है।

(नौ)(ख)– 'जीवाश्म ईंधन (Fossil Fuel)' का वही अर्थ होगा जैसा कि इसे समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (हरित ऊर्जा खुली पहँच उपभोक्ताओं के संबंध में खुली पहुँच प्रभारों एवं बैंकिंग प्रभारों के अवधारण की क्रियाविधि) विनियम, 2023 (जी–46, वर्ष 2023) में परिभाषित किया गया है।

(नौ)(ग)– 'हरित ऊर्जा (Green Energy)' का वही अर्थ होगा जैसा कि इसे समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (हरित ऊर्जा खुली पहँच उपभोक्ताओं के संबंध में खुली पहुँच प्रभारों एवं बैंकिंग प्रभारों के अवधारण की क्रियाविधि) विनियम, 2023 (जी–46, वर्ष 2023) में परिभाषित किया गया है।

(नौ)(घ)– 'हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुँच उपभोक्ता (Green Energy Open Access Consumer)' का वही अर्थ होगा जैसा कि इसे समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (हरित ऊर्जा खुली पहँच

उपभोक्ताओं के संबंध में खुली पहुँच प्रभारों एवं बैंकिंग प्रभारों के अवधारण की क्रियाविधि) विनियम, 2023 (जी–46, वर्ष 2023) में परिभाषित किया गया है।"

3. मूल विनियमों के विनियम 13 में संशोधन :

3.1 विनियम 13 के खण्ड 13(क) के उप–खण्ड 13.1 (छह) के पश्चात् एक नवीन परन्तुक अंर्तस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"परन्तु यह कि प्रत्यानुदान अधिभार की राशि विद्युत प्रदाय की औसत लागत के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । "

3.2 विनियम 13 के खण्ड 13(क) उप–खण्ड 13.1(सात) के पश्चात् एक नवीन परन्तुक अंर्तस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"परन्तु यह कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति अपने स्वयं के उपयोग हेतु आबद्ध (कैप्टिव) विद्युत उत्पादन संयंत्र से की जा रही हो तो अतिरिक्त अधिभार को अधिरोपित नहीं किया जाएगा ।"

3.3 विनियम 13 के खण्ड 13(ख) के उप–खण्ड (एक) के स्थान पर निम्न उप–खण्ड (एक) स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुँच उपभोक्ताओं पर लागू प्रभार निम्नानुसार होंगे:

1.1 पारेषण (ट्रांसमिशन) प्रभार ;

1.2 चक्रण (व्हीलिंग) प्रभार ;

1.3 प्रत्यानुदान अधिभार (Cross Subsidy Charge) ;

1.4 अतिरिक्त अधिभार ;

1.5 आपातोपयोगी प्रभार (Standby Charge) जहाँ कहीं भी वे प्रयोज्य हों ;

1.6 अधिकोषण (बैंकिंग) प्रभार जहाँ कहीं भी वे प्रयोज्य हों ; और

1.7 समुचित आयोग के सुसंबंध विनियमों के अनुसार प्रयोज्य अनुसूचीबद्धता शुल्क (शेड्यूलिंग फी)/राज्य भार प्रेषण केन्द्र (SLDC)/क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (RLDC) प्रभार तथा विचलन प्रभार ।"

3.4 विनियम 13 के खण्ड 13 (ख) के उप–खण्ड (दो) के तृतीय परन्तुक के स्थान पर निम्नानुसार तृतीय परन्तुक स्थापित किया जाए :–

"परन्तु यह और भी कि यदि विद्युत की अधिप्राप्ति गैर–जीवाश्म ईंधन–आधारित अवशिष्ट–से–ऊर्जा (Non-fosil Fuel-based Waste-to-Energy) संयंत्र से की जाती है तथा निर्बाध (खुली) पहुँच उपभोक्ता को प्रदाय की जाती हो तो प्रत्यानुदान अधिभार (Cross Subsidy Surcharge) तथा अतिरिक्त अधिभार प्रयोज्य नहीं होंगे ; "

3.5 विनियम 13 के खण्ड 13 (ख) के उप–खण्ड (दो) के चौथे परन्तुक के पश्चात् निम्न पांचवां परन्तुक अंर्तस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"परन्तु यह और भी कि अतिरिक्त अधिभार ऐसे प्रकरण में प्रयोज्य न होगा जहाँ माह दिसम्बर, 2025 तक क्रियाशील की गई अपतटीय (Offshore) पवन परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत का उत्पादन किया जाता हो तथा निर्बाध (खुली) पहँच उपभोक्ता को प्रदाय की जाती हो :"

3.6 विनियम 13 के खण्ड 13 (ख) के उप–खण्ड (दो) के पाँचवें परन्तुक के पश्चात् छठा परन्तुक निम्नानुसार अंर्तस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"परन्तु यह और भी कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा हरित ऊर्जा की प्राप्ति अपने स्वयं के उपयोग हेतु आबद्ध (केप्टिव) विद्युत उत्पादन संयंत्र के रूप में की जा रही हो तो ऐसे प्रकरण में अतिरिक्त अधिभार को आरोपित नही किया जाएगा :"

3.7 विनियम 13 के खण्ड 13 (ख) के उप–खण्ड (तीन) के पश्चात् निम्न नवीन परन्तुक अंर्तस्थापित किया जाए :–

"परन्तु यह कि प्रत्यानुदान अधिभार (Cross Subsidy Surcharge) विद्युत प्रदाय की औसत लागत के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :"

3.8 विनियम 13 के खण्ड 13 (ख) के उप–खण्ड (चार) के स्थान पर निम्न उप–खण्ड (चार) स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"चार. आपातोपयागी प्रभार (Standby charges) जहाँ कहीं भी वे लागू हों, को राज्य आयेाग द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा तथा ऐसे प्रभार लागू नहीं होंगे यदि हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुँच उपभोक्ताओं द्वारा दिवस पूर्व विपणन केन्द्र {Day Ahead Market (DAM)} के द्वार बन्द होने (Gate Closure) से पूर्व

न्यूनतम एक दिवस की पूर्व सूचना (नोटिस) [(D-(minus)1] दिवस के भीतर प्रदान की गई हो जहाँ 'D' से अभिप्रेत है वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपातोपयोगी व्यवस्था हेतु विद्युत–प्रदाय का दिवस । "

3.9 विनियम 13 के खण्ड 13(ख) के उप–खण्ड (चार) के प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्न प्रथम परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"परन्तु यह कि प्रयोज्य आपातोपयोगी प्रभार उपभोक्ता टैरिफ श्रेणी को प्रयोज्य ऊर्जा प्रभारों के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे : "

3.10 विनियम 13 के खण्ड 13(ख) के उप–खण्ड (चार) के द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्न द्वितीय परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"परन्तु यह और कि आपातोपयोगी प्रभार (Standby Charges) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुँच उपभोक्ता को प्रदाय की गई आपातोपयोगी ऊर्जा पर प्रयोज्य विद्युत–दर के अतिरिक्त होंगे ।"

4. मूल विनियम के विनियम 15 के स्थान पर निम्न विनियम 15 स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

किसी निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता द्वारा विभिन्न स्त्रोतों से ऊर्जा आहरण हेतु प्राथमिकता, निम्न उपचायक प्राथमिकता (रिड्यूसिंग प्रायोरिटी) के क्रमानुसार होगी तथा प्रत्येक समय–खंड (टाईम ब्लॉक) हेतु इसका क्रियान्वयन प्रयोज्य हानियों के समायोजन पर किया जायेगा ।

(क) नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्र ;

(ख) आबद्ध (केप्टिव) उत्पादन संयंत्र ;

(ग) अधिकोषित ऊर्जा (Banked Energy) ;

(घ) दीर्घ–अवधि द्विपक्षीय क्रय ;

(ङ) मध्यम–अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच ;

(च) लघु–अवधि अन्तर्राज्यीय निर्बाध (खुली) पहुँच, पावर एक्सचेंज संव्यवहारों (लेन–देन) को सम्मिलित करते हुए ;

(छ) लघु–अवधि राज्यान्तरिक (खुली) पहुँच ;

(ज) हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुँच के अंतर्गत वितरण अनुज्ञप्तिधारी से आपातोपयोगी ऊर्जा (Standby Energy) की प्राप्ति, यदि कोई हो ; और

(झ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी ।

परन्तु यह कि समान श्रेणी के एक से अधिक स्त्रोतों से ऊर्जा के आकलन (एनर्जी–क्रेडिट) का समायोजन ऐसे स्त्रोतों से संविदाकृत विद्युत उत्पादन क्षमता के अनुपातिक आधार पर किया जायेगा ।

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकांत पाण्डा, आयोग सचिव.